*समक्ष वी. रामास्वामी सीजे और जीआर मजीठिया, ज.*

प्रेम चंद और अन्य - *याचिकाकर्ता।*

*बनाम*

हरियाणा राज्य और अन्य- *प्रतिवादी।*

1987 *की सिविल रिट याचिका संख्या* 4315

8 फ़रवरी 1989

*भारत का संविधान,* 1950 - *अनुच्छेद 311–पंजाब तहसीलदार नियम, 1932–नियम* 3, 6(बी) - *पद का उन्मूलन - सरकारी कर्मचारी के खिलाफ व्यक्तिगत दंड नहीं* - सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन नहीं *है - हालांकि, पिछले पद के उन्मूलन के बाद समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ एक और पद का सृजन - का प्रभाव, कहा गया है - रंगीन कार्रवाई - अदालतें ऐसे उन्मूलन की उपेक्षा कर सकती हैं - सरकारी कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति।*

*निर्धारित किया गया* कि पद के समाप्त होने से सेवा समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसी समाप्ति कला के अर्थ में बर्खास्तगी या निष्कासन नहीं है। भारतीय संविधान, 1950 की धारा 311 क्योंकि बर्खास्तगी या हटाया जाना दोनों ही स्थिति में कलंक है। पद की समाप्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत दण्ड नहीं है। पद समाप्ति के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन के प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताने का अवसर उत्पन्न नहीं होता है । यह व्यक्ति को ऑफिस समाप्त होने के बाद उसे रखने या किसी अन्य रोजगार का कोई अधिकार नहीं देता है। (पैरा 15).

*निर्धारित किया गया* कि किसी पद को समाप्त करने की कार्यपालिका की शक्ति को अच्छी तरह से मान्यता दी गई है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा अच्छे विश्वास और सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए और कभी भी मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। किसी पद को समाप्त करने का औपचारिक आदेश इस प्रश्न का निर्णायक नहीं है कि क्या पद वास्तव में समाप्त कर दिया गया है। किसी विशेष पद को समाप्त किया गया है या नहीं यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर

करेगा। जहां एक पद को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और सेवा की शर्तों के साथ उसी प्रकृति और चरित्र के किसी अन्य पदनाम द्वारा एक और पद बनाया जाता है, अदालत को लग सकता है कि कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है, परिवर्तन केवल पदनाम में है। इसी प्रकार यह भी संभव है कि एक मौजूदा पद को समाप्त कर दिया जाए और पूरी तरह से अलग प्रकृति का लेकिन उसी पदनाम वाला एक और पद सृजित किया जाए। उस स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि केवल इसलिए कि उसी पदनाम के साथ एक और पद सृजित हो गया है, मौजूदा पद को समाप्त नहीं किया गया है। (पैरा 16).

*भारत के संविधान के अनुच्छेद* 226/227 *के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि: -*

(i) *मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब किया जाए;*

(ii) *प्रतिवादी के आदेश को रद्द करने वाली सर्टिओरारी प्रकृति की एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश*

*क्रमांक* 1, *दिनांक* 15 *जुलाई,* 1987, *अनुलग्नक* पी/1, नायब तहसीलदारों के 18 पदों को *समाप्त करना और परिणामी आदेश, जिसका एक नमूना प्रतिवादी क्रमांक* 2 द्वारा जारी आदेश, *दिनांक* 16 *जुलाई,* 1987, *अनुलग्नक पी/2, याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया जाए;*

(iii) *आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, विवादित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जाए और याचिकाकर्ताओं को नायब तहसीलदार के रूप में सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए।*

(iv) *अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने संबंधी शर्त को समाप्त किया जाए;*

(v) *रिट याचिका की अग्रिम सूचना की तामील संबंधी शर्त को समाप्त किया जाए;*

(vi) *याचिका की लागत भी प्रदान की जाए।*

*याचिकाकर्ताओं की ओर से* वकील भूप सिंह और पीएस पथवालिया ।

एससी मोहंता, एजी हाईवे। *उत्तरदाताओं के लिए* एनएस पवार, वरिष्ठ डीएजी, राजमार्ग के साथ ।

प्रदीप गुप्ता, वकील, *उत्तरदाताओं* 3 *से* 9 के लिए।

## निर्णय

जी. *आर. मजीठिया,* ज.-

(1) यह निर्णय 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4315, 4316, 4319, 4435, 5103, 5211, 1984 के सीडब्ल्यूपी नंबर 718 और 1988 के एलपीए नंबर 966, 989, 990 और 991 का निपटान करेगा। रिट में

कुछ अंतरिम निर्देश दिए गए थे। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और एलपीए द्वारा 1987 की याचिका संख्या 4316, 5103 और 5211। उन आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा 1988 की संख्या 966, 989 और 990 दायर की गई है। 1987 का एलपीए नंबर 991, 1988 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1103 में अंतरिम आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

(2) सी.डब्ल्यू.पी. में संख्या 718/1984, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी पत्र संख्या 2311-आईजीएसआई-72/15727, दिनांक 26 मई, 1972 में निहित निर्देशों के खिलाफ चुनौती लगाई है। इन निर्देशों के तहत, राज्य सरकार भर सकती है आयोग/ बोर्ड से सिफारिशें प्राप्त होने के छह महीने के भीतर किसी विशेष विभाग में होने वाली रिक्तियों को भरना। सिफ़ारिशों की प्राप्ति के छह महीने के भीतर उत्पन्न होने वाली कोई भी *रिक्ति* आयोग/बोर्ड द्वारा की गई सिफ़ारिशों से भरी जा सकती है।

(3) चुनौती निम्नलिखित परिस्थितियों में दी गई थी।

(4) 7 जुलाई, 1981 और 22 सितंबर, 1981 को, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा (संक्षेप में, "बोर्ड") ने नायब तहसीलदारों के 22 पदों (अंबाला डिवीजन के लिए नायब तहसीलदारों के 11 पद और हिसार डिवीजन के लिए 11 पद) का विज्ञापन दिया। बोर्ड ने 19 नवंबर 1982 को चयन किया और इन पदों के लिए 102 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की। अंबाला और हिसार डिवीजनों के आयुक्तों ने 102 उम्मीदवारों की इस सूची में से न केवल वर्ष 1981 और 1982 तक बल्कि वर्ष 1983 में बनाई गई रिक्तियों को भी भर दिया। कमिश्नर, हिसार डिवीजन, हिसार ने 17 मई, 1983, 18 मई, 1983 और 23 जून, 1983 में नियुक्तियां कीं जो बोर्ड द्वारा की गई सिफ़ारिशों में से थी।

आयुक्त, अम्बाला मण्डल, अम्बाला ने 12 जुलाई 1983 को उसी सूची में से 21 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे उक्त पदों के लिए पूरी तरह से योग्य थे। बोर्ड द्वारा की गई मूल सिफारिशों की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद रिक्त हुए नायब तहसीलदारों के पदों पर नियुक्ति के लिए नए आवेदन आमंत्रित नहीं करने की आयुक्त की कार्रवाई अवैध और कानून की दृष्टि से खराब है।

(5) राज्य की ओर से, कार्रवाई को इस आधार पर उचित ठहराया गया कि बोर्ड अस्तित्व में नहीं था और इन परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा पहले ही भेजी गई नायब तहसीलदारों के पदों के लिए उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची की वैधता समाप्त हो गई थी। संभागीय आयुक्तों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और सरकार इन नियुक्तियों को करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी और परिपत्र पत्र संख्या 2367-5-जीएस-आई-76/12144, दिनांक 17 मई, 1976 में निहित विशिष्ट निर्देशों के आधार पर उचित थी। राज्य हालाँकि, यह स्वीकार किया कि आम तौर पर बोर्ड द्वारा सिफारिशों की तारीख के छह महीने के बाद बनाई गई रिक्तियाँ उस सूची से नहीं भरी जाती हैं।

(6) बोर्ड की ओर से नायब तहसीलदारों के विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक उम्मीदवारी तिथियों की सिफारिश को इस आधार पर उचित ठहराया गया कि बोर्ड को जानकारी थी कि घोषित परिणाम आने तक नायब तहसीलदारों के पदों की वास्तविक संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी थी। बोर्ड ने भी चुनौती के तहत निर्देशों के आधार पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया।

(7) आयुक्त, हिसार मंडल, हिसार ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों में से, वर्ष 1983 के लिए बनाई

गई रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियाँ की गईं। उन्होंने वर्ष 1983 और 1984 में विभिन्न तिथियों पर इस सूची में से 49 पद भरे। कमिश्नर, अम्बाला डिवीजन का उत्तर भी इसी आशय का है। उन्होंने अपने जवाब में स्वीकार किया कि उन्होंने 52 फॉर्म भरे हैं वर्ष 1983 और 1984 में विभिन्न तिथियों पर बोर्ड द्वारा अनुशंसित 53 उम्मीदवारों की सूची में से नायब तहसीलदारों के पद ।

(8) अन्य रिट याचिकाओं में भी काफी हद तक यही मुद्दा उठाया गया है। रिट याचिकाओं में दलीलें काफी हद तक उसी पैटर्न का अनुसरण करती हैं। पक्षों के वकील की सहमति से, 1987 की सीडब्ल्यूपी संख्या 4315 को मुख्य रिट याचिका माना गया। इसलिए, 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4315 में दी गई दलीलों को संदर्भित करना सुविधाजनक होगा। इस रिट याचिका के संबंध में हम जो भी कहेंगे वह अन्य रिट याचिकाओं पर लागू होगा।

(9) वर्ष 1981 में, वर्ग 'ए' नायब तहसीलदारों के बाईस पद विज्ञापित किए गए थे, जिसके जवाब में याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन जमा किए। कई अन्य व्यक्तियों के साथ याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया था। याचिकाकर्ता मई, 1984 से नवंबर, 1984 की अवधि के दौरान अंबाला डिवीजन, अंबाला में नायब तहसीलदार उम्मीदवारों के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अवधि पूरी की, नायब तहसीलदार की परीक्षा उत्तीर्ण की और नियमित आधार पर नियुक्त हुए। उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाया गया। नायब तहसीलदारों के कैडर की सेवा के नियम और शर्तें पंजाब तहसीलदारी नियम, 1932 (संक्षेप में 'नियम') नामक वैधानिक नियमों में निहित हैं। नियमों के नियम 6 (बी) में प्रावधान है कि नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती या तो सीधी भर्ती द्वारा या डिवीजन के राजस्व, सिंचाई, उत्पाद शुल्क या

पुलिस स्थापना में कार्यरत अधिकारियों के बीच से स्थानांतरण द्वारा की जाती है। वित्तीय आयुक्त ने, नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में स्थायी आदेश संख्या 12 (संक्षेप में 'आदेश') जारी किया। आदेश का पैरा 22 नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती के दो स्रोत प्रदान करता है। 'ए' श्रेणी के नायब तहसीलदारों की नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है और 'बी' श्रेणी के नायब तहसीलदारों की नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से की जाती है। कानूनगो और अन्य राजस्व अधिकारियों को 'बी' श्रेणी के नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत किया जाता है। आदेश के पैरा 23 में प्रावधान है कि कानूनगो और अन्य राजस्व अधिकारियों को 'बी' श्रेणी के नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत किया जाता है और नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्ति से पहले, उन्हें नायब तहसीलदार की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। नियम और आदेश यह अनिवार्य बनाते हैं कि सभी नायब तहसीलदार उम्मीदवारों, चाहे 'ए' श्रेणी या 'बी' श्रेणी, को नायब तहसीलदार परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जो उम्मीदवार नायब-तहसीलदार की परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं, वे नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं हैं और उनके नाम उम्मीदवारों की सूची से हटा दिए जा सकते हैं। पैरा 34 और 35 उस अवधि से संबंधित हैं जिसके भीतर नायब तहसीलदार परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। वित्तीय आयुक्त इसका विस्तार कर सकते हैं, जिस अवधि में उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, वह आयुक्त की सिफारिशों पर असाधारण मामलों में किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट भी दे सकता है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने अपनी प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और नायब तहसीलदार परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं और उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है। वे अंबाला डिविजन, अंबाला में नायब तहसीलदारों के स्थायी

पदों के खिलाफ कॉर्किंग कर रहे हैं। हरियाणा राज्य ने 15 जुलाई 1987 को आदेश जारी किया, जिसके तहत नायब तहसीलदारों के 35 पद (अंबाला डिवीजन में 18 पद और हिसार डिवीजन में 17 पद) समाप्त कर दिए गए। आदेश में कहा गया है कि यह केवल सामान्य वर्ग से संबंधित नियुक्तियों से संबंधित है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही नियुक्ति की कमी थी। नायब तहसीलदारों के बीच कोटा। उक्त आदेश के अनुसरण में, आयुक्त, अम्बाला डिवीजन ने 16 जुलाई, 1987 को समाप्ति का आदेश जारी किया।

(10) दूसरी रिट याचिकाएँ में जिन आदेशों को चुनौती दी गई है उनमें समानय प्राशन हैं। यह कहा गया है कि नायब तहसीलदारों के 35 पदों को समाप्त करने के परिणामस्वरूप केवल पूर्ववर्ती 'ए' श्रेणी के नायब तहसीलदारों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त करने से शत्रुतापूर्ण भेदभाव हुआ है। नौ कानूनगो को जून, 1985, जनवरी, 1986 और मई, 1987 में नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत किया गया था। इन सभी कानूनगो को याचिकाकर्ताओं के बाद पदोन्नत किया गया था और उनमें से किसी ने भी नायब तहसीलदार की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। उन्हें सेवा में बरकरार रखा गया है जबकि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। आदेश और नियम नायब तहसीलदारों के पदों के लिए कोटा प्रदान करते हैं और सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा नायब तहसीलदारों के पदों पर नियुक्ति के लिए कोटा 50 : 50 प्रतिशत है। दोनों स्रोतों से समान संख्या में नायब तहसीलदारों की नियुक्ति की जानी है। यह केवल सीधी भर्ती वाले कोटा पद हैं जिन्हें समाप्त कर दिया गया है और पदोन्नत लोगों द्वारा धारित

पदों को समाप्त नहीं किया गया है, और यह कार्रवाई भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है । छब्बीस पदोन्नत नायब तहसीलदार कई बदलावों के बावजूद नायब तहसीलदार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके। योग्य नायब तहसीलदारों की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं। पदों को समाप्त करना अनावश्यक विचार के लिए है। जो पद खत्म किए गए हैं, उन्हें मौजूदा बजट में मंजूरी दी गई है। युवाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन और बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ता जो युवा हैं और पहले ही एक वर्ष की आयु पार कर चुके हैं।

यदि पदों के समाप्त होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाती हैं तो रोजगार को अपूरणीय क्षति होगी। पदों को समाप्त करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है जबकि निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी कमिश्नर थे। याचिकाकर्ताओं के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती की गई और उन्हें योग्यता सूची में याचिकाकर्ताओं से नीचे रखा गया। उन्हें सेवा में बनाए रखने और याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त करने का शायद ही कोई औचित्य था। यहां तक कि आक्षेपित आदेश की इस शर्त का भी दण्डमुक्ति के साथ उल्लंघन किया गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री एचएस चट्ठा के करीबी रिश्तेदार गुरमीत सिंह को समायोजित करने के लिए पिछड़ा वर्ग के एक उम्मीदवार, नारंग दास की सेवाएं समाप्त कर दी गईं ।

(11) राज्य ने उसके उत्तर में समाप्ति को उचित ठहराया गया और कहा कि राज्य सरकार उसके पक्ष को लिखित बयान के पैरा 8 में प्रकट किया गया है जो इस प्रकार है: -

> "रिट याचिका के पैरा नंबर 8 को इस हद तक स्वीकार किया गया है कि अंबाला डिवीजन में नायब तहसीलदारों के 18 पद समाप्त कर दिए गए हैं। यह गलत है और इसका पुरजोर खंडन किया गया है कि पदों को खत्म करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। जवाब देने वाले प्रतिवादी ने पदों को खत्म करते समय याचिकाकर्ताओं की योग्यता को ध्यान में रखा है। तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है:-
>
> जुलाई, 1981 से पहले, नायब तहसीलदारों की कैडर शक्ति 116 (अंबाला 60, हिसार 66) थी। वित्तीय आयुक्त के स्थायी

आदेश 12 के साथ पठित तहसीलदारी नियम, 1932 के अनुसार, नायब तहसीलदारों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं। अंबाला और हिसार डिवीजन में 22 प्रत्यक्ष नायब तहसीलदारों (11-11) की कमी थी। इन पदों को भरने के लिए अधियाचन जुलाई, 1981 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया था। 22 पदों की मांग के विरुद्ध, बोर्ड ने नवंबर, 1982 में 103 उम्मीदवारों (53 अंबाला डिवीजन और 50 हिसार डिवीजन के लिए) की सिफारिश की। बाईस उम्मीदवार तारीखें जिनके लिए मांग भेजी गई थी, दिसंबर, 1982 और जनवरी, 1983 में नियुक्त की गईं। इसके बाद, मार्च, 1983 में। नायब तहसीलदारों की कैडर संख्या 116 से बढ़ाकर 159 कर दी गई (अंबाला डिवीजन 81. हिसार डिवीजन 78) और अप्रैल, 1984 में, फोलियो विंग तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसे फिर से 159 से बढ़ाकर 180 (अंबाला 92, हिसार 88) कर दिया गया: -

(i) नई सू-तहसीलों का निर्माण और उप-तहसीलों का उन्नयन;

(ii) आईविलटीसी द्वारा जल पाठ्यक्रमों की लाइनिंग के संबंध में भारी मात्रा में बकाया की वसूली।

(iii) हाई माइगेज योजना या आवास विभाग के तहत वसूली ओआईओएन।

(iv) नगर पालिकाओं में 'बी' और 'सी' वर्ग में प्रत्येक समय प्रशासन की नियुक्ति के लिए।

(v) जिला बचत विकास अधिकारी के रूप में नाइब

तहसीलदारों की नियुक्ति ।

(vi) प्रशिक्षण आरक्षित

(vii) प्रतिनियुक्ति

कैडर में वृद्धि के परिणामस्वरूप समय-समय पर चयन सूची का पुन: मूल्यांकन किया गया और सभी अभ्यर्थियों को इन पदों पर नियुक्त किया गया।

नवंबर, 1986 में सरकार ने एमाइटसी द्वारा जल पाठ्यक्रमों की लाइनिंग के लिए की गई 118 करोड़ की वसूली को माफ करने का निर्णय लिया। इसलिए, एमआईटीसी बकाया की वसूली से संबंधित कार्य अब नहीं रह गया था और इसलिए इस उद्देश्य के लिए बनाए गए नायब तहसीलदारों के 13 पदों को अधिशेष घोषित कर दिया गया है ।

चूंकि वित्त विभाग में इन पदों के सापेक्ष जिला बचत विकास अधिकारियों के 12 पद सृजित करने पर सरकार ने अब तक सहमति नहीं दी है. नायब तहसीलदारों को जिला विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना था। इस स्थिति में ये पद अधिशेष हो गए और तदनुसार समाप्त कर दिए गए।

30 प्रतिनियुक्ति पदों में से, नगर पालिकाओं में प्रशासकों के 7 रिक्त पद और हिसार में नायब तहसीलदार उपनिवेशन के एक पद की अब आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सरकार ने अलग से निर्णय लिया था। 30 अगस्त, 1987 को नगर पालिकाओं में चुनाव कराएं और चुनाव के परिणामस्वरूप इन पदों की आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए इन्हें

समाप्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त पदों को समाप्त करने के साथ ही आनुपातिक आधार पर ट्रेनिंग रिजर्व के दो पद भी समाप्त कर दिये गये हैं।

चुनौती के अधीन इन पदों को समाप्त करने से अम्बाला मंडल में 74 पद हैं, जिनमें से 37 प्रत्यक्ष और 35 प्रमोटी और 2 रिक्त प्रमोटी के लिए हैं। इसी प्रकार, हिसार डिवीजन में नायब तहसीलदारों के 71 पदों में से छतीस सीधे उम्मीदवारों से हैं और 33 टोर पदोन्नत और 2 विभागीय पदोन्नति के लिए रिक्त हैं। यह देखा जा सकता है कि प्रत्यक्ष उम्मीदवारों और पदोन्नत उम्मीदवारों के बीच अनुपात में गड़बड़ी नहीं हुई है। इन 35 पदों के समाप्त होने के बाद नायब तहसीलदारों के पदों पर जो पदोन्नत लोग कार्यरत हैं, वह उनके 50 प्रतिशत कोटे से कम है, इसलिए याचिकाकर्ताओं का यह आरोप कि किसी भी पदोन्नत नायब तहसीलदार को बर्खास्त नहीं किया गया है, निराधार है।"

(12) आयुक्त अम्बाला मण्डल, अम्बाला ने वित्तायुक्त के परिपत्र पत्र क्रमांक 7691-ई-4-87/21567 दिनांक 15 जुलाई,1987 का आश्रय लेते हुए कार्रवाई को उचित ठहराया। (अनुलग्नक पी-1)

(13) कमिश्नर, हिसार डिविजन, हिसार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया।

(14) अभिव्यक्ति 'सिविल पोस्ट' का *प्रथम दृष्टया अर्थ* प्रशासन के

सिविल पक्ष पर एक नियुक्ति या कार्यालय है जो रक्षा बलों के तहत एक पद से अलग है। संघ या राज्य के मामलों के संबंध में अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक सेवा और पद' में नागरिक और सैन्य दोनों पदों के धारक शामिल हैं और इस प्रकार, यह संविधान के अनुच्छेद 311 (1) के दायरे के साथ सह-व्यापक है। भारत में हालांकि रक्षा कर्मियों को अनुच्छेद 311 के संरक्षण से बाहर रखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 310 में उल्लिखित सार्वजनिक सेवा का सदस्य है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की मर्जी तक पद धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत शक्ति अनुच्छेद 311 के प्रावधानों को छोड़कर अप्रतिबंधित है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा को सामान्य कानून द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है।

जनता नौकर का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 311 में उल्लिखित सीमाओं या योग्यताओं के अधीन है। संसद या राज्यों की विधानसभाएं कार्यकाल को निरस्त करने या संशोधित करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती हैं, जिससे अनुच्छेद 311 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को अनुच्छेद 310 के तहत प्रदत्त अधिभावी शक्ति का उल्लंघन हो सके। संसद या राज्यों की विधानसभाएं ऐसा कर सकती हैं। ऐसे सदस्य की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाला एक कानून जिसमें अनुच्छेद 311 के साथ पठित अनुच्छेद 310 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्तियों को प्रभावित किए बिना अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से कार्यवाही शामिल है। संसद और विधानमंडल भी संविधान के अनुच्छेद 311 में सन्निहित "उचित अवसर" के सिद्धांत के दायरे और सामग्री को निर्धारित और विनियमित करने के लिए एक कानून बना सकते हैं, लेकिन उक्त कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है। नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी प्राधिकारी द्वारा नियम भी बनाए जा सकते हैं, बशर्ते कि वे आनंद के सिद्धांत का उल्लंघन न करें।

(15) किसी भी नागरिक पद को बनाने, जारी रखने और विघटित करने की शक्ति प्रत्येक संप्रभु सरकार में निहित होती है। यह कार्यपालिका द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय है और यह परिस्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर है। पद समाप्ति से सेवा समाप्ति होगी। लेकिन ऐसी समाप्ति संविधान के अनुच्छेद 311 के अर्थ में बर्खास्तगी या निष्कासन नहीं है क्योंकि बर्खास्तगी या निष्कासन दोनों ही स्थितियों में एक कलंक है। पद की समाप्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत दण्ड नहीं है। पद समाप्ति की स्थिति में

(1) A.I.R. 1973 S.C. 2641.

बर्खास्तगी या निष्कासन के प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताने का अवसर उत्पन्न नहीं होता है। यह व्यक्ति को इसके ख़त्म होने के बाद पद पर बने रहने या किसी अन्य रोज़गार का कोई अधिकार नहीं देता है। बेशक, उपयुक्त सरकार उस सिविल कार्यालय या पद के धारक को वैकल्पिक पदों की पेशकश करने वाले नियम बना सकती है जिसे समाप्त कर दिया गया है। यह सरकार के नीतिगत फैसले का मामला है। किसी पद को समाप्त करने की शक्ति की प्रकृति और दायरा कई निर्णयों का विषय रहा है। इसे *एन. रामनाथ पिल्लई* बनाम *केरल राज्य और अन्य* में बताया गया था,(1) सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा निम्नानुसार:

> "किसी पद को सद्भावना से समाप्त किया जा सकता है। पद को समाप्त करने का आदेश अपना प्रभावी चरित्र खो सकता है, यदि ऐसा माना जाता है कि यह मनमाने ढंग से, *दुर्भावनापूर्ण* या गलत तरीके से किया गया है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अर्थ के अंतर्गत कुछ दंडात्मक कार्रवाई का मुखौटा के रूप में किया गया है।"

(1) A.I.R. 1973 S.C. 2641.

इसी तरह का दृष्टिकोण हरियाणा राज्य बनाम श्री *देस राज संगर और अन्य* (2) में भी लिया गया था। फिर से, सुप्रीम कोर्ट ने *के. राजेंद्रन और अन्य आदि* बनाम *तमिलनाडु राज्य और अन्य,* (3) में ईएस वेंकटरमैया, जे. के शब्दों में, इस प्रकार देखा: -

> "किसी नागरिक पद को ख़त्म करने की शक्ति उसे बनाने के अधिकार में अंतर्निहित है। सरकार के पास हमेशा संवैधानिक प्रावधानों के अधीन, दक्षता प्रदान करने और अर्थव्यवस्था लाने के लिए एक विभाग को पुनर्गठित करने की शक्ति होती है। यह सद्भावनापूर्वक किसी कार्यालय या पद को समाप्त कर सकता है। किसी पद को ख़त्म करने की कार्रवाई किसी असुविधाजनक पदाधिकारी से छुटकारा पाने के लिए किया गया दिखावा भर नहीं होना चाहिए।"

आगे बताया गया कि चाहे की गई कार्रवाई विधायी हो या कार्यकारी, यह हमेशा न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। इस प्रकार कहा गया:-

> "किसी पद को समाप्त करने की शक्ति जिसके परिणामस्वरूप उसका धारक सरकारी सेवक नहीं रह सकता है, को मान्यता दी जानी चाहिए। लेकिन हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि उस अधिकार के तहत विधायी या कार्यकारी द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई हमेशा न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है।

(16) किसी पोस्ट *को* मान्यता दे दी गई है, लेकिन इसका उपयोग हमेशा अच्छे विश्वास और सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए और कभी भी मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। किसी पद को समाप्त करने का औपचारिक आदेश इस प्रश्न का निर्णायक नहीं है कि क्या पद

वास्तव में समाप्त कर दिया गया है। किसी विशेष पद को समाप्त किया गया है या नहीं, यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। जहां एक पद को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और सेवा की शर्तों के साथ उसी प्रकृति और चरित्र के किसी अन्य पदनाम द्वारा एक और पद बनाया जाता है, तो अदालत यह पा सकती है कि कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है, परिवर्तन केवल पदनाम में है। इसी प्रकार यह भी संभव है कि एक मौजूदा पद को समाप्त कर दिया जाए और पूरी तरह से अलग प्रकृति का लेकिन उसी पदनाम वाला एक और पद सृजित किया जाए। उस स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि केवल इसलिए कि इसके साथ कोई अन्य पोस्ट बनाई गई है, इसका अनुसरण किया जाएगा

(2) एआईआर 1976 एससी 1199।
(3) एआईआर 1982 एससी 1107।

वही पदनाम, मौजूदा पद समाप्त नहीं किया गया। *शंकरनारायण* बनाम *मैसूर राज्य,* (4) एक ऐसे मामले का उदाहरण है जहां मौजूदा पद को समाप्त कर दिया गया था, भले ही नए बनाए गए पद का पदनाम वही था। इसे इस प्रकार देखा गया:-

> "यह तर्क दिया गया है कि उन्मूलन के बाद भी उन्हीं पदों को जारी रखने की मांग की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कार्यालयों के नाम नहीं बदले गए हैं, लेकिन जो पद समाप्त किए गए हैं और जो पद सृजित किए गए हैं, उनमें बुनियादी संरचनात्मक अंतर है। नये अधिनियम द्वारा सृजित पद वेतनभोगी पद हैं। वे नियमों द्वारा बनाए गए ग्रेड के अनुसार वेतन लेते हैं। पदधारी स्थानांतरणीय हैं और उनकी सेवा पेंशन

योग्य है। नए पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं. नए पदों से जुड़ी घटनाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि पुराने पदों को समाप्त कर दिया गया है और नए पदों का सृजन किया गया है और पदों का पूरा स्वरूप ही बदल दिया गया है।"

(17) हरियाणा राज्य पर लागू नियम राज्य में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सेवाओं को विनियमित करते हैं। नियमों का नियम 6 भर्ती की पद्धति से संबंधित है और यह बताता है कि तहसीलदार के मामले में, पद या तो नायब तहसीलदारों की पदोन्नति से या सीधी नियुक्ति से या डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों के अधीक्षक के रूप में कार्यरत अधिकारियों के बीच से स्थानांतरण द्वारा भरा जा सकता है। किसी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय या जिला कानूनगो के हेड वर्नाकुलर क्लर्क, जिनकी अवधि पांच वर्ष से कम न हो। नायब तहसीलदारों के मामले में, पद या तो राजस्व, सिंचाई, उत्पाद शुल्क या एफएचई डिवीजन के पुलिस प्रतिष्ठान में कार्यरत अधिकारियों के बीच स्थानांतरण या सीधी नियुक्ति से भरा जा सकता है।

(18) नियमों के नियम 3 में प्रावधान है कि तहसीलदार के पद पर सभी वास्तविक नियुक्तियाँ वित्तीय आयुक्त, राजस्व द्वारा की जाएंगी। तहसीलदार के पद पर सभी स्थानापन्न नियुक्तियाँ और नायब तहसीलदार के पद पर सभी नियुक्तियाँ आयुक्तों द्वारा की जाएंगी।

(4) एआईआर 11966 एससी 1 1571।

(19) नायब तहसीलदारों के पद पर सीधी नियुक्ति और पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिए नियमों और स्थायी आदेशों के तहत कोटा

50:50 है। दोनों स्रोतों से समान संख्या में तहसीलदारों की नियुक्ति की जानी है।

(20) पद के उन्मूलन से जुड़ी परिस्थितियों पर अब ध्यान दिया जा सकता है।

(21) वर्ग 'ए' (नायब तहसीलदार) के कई पद विज्ञापित किए गए थे। जिसके जवाब में याचिकाकर्ताओं ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया. इनका चयन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया गया। वे मई, 1984 से नवंबर, 1984 की अवधि के दौरान अंबाला डिवीजन, अंबाला में नायब तहसीलदार उम्मीदवारों के रूप में शामिल हुए, आवश्यक प्रशिक्षण के बाद, वे नायब तहसीलदार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और नियमित आधार पर नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त हुए। 1987 के सीडब्ल्यूपी 4315 में याचिका के पैरा 7 में, निम्नलिखित विशिष्ट कथन दिए गए थे: -

> "यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और नायब तहसीलदार परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है और उसके बाद उन्हें नियमित आधार पर नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ता नियमित आधार पर स्थायी पदों पर नायब तहसीलदार के रूप में अंबाला डिवीजन में कार्यरत हैं। हालाँकि, यह सही है कि याचिकाकर्ताओं की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अंबाला डिवीजन में काम करने वाले सभी नायब तहसीलदार अपुष्ट हैं और जैसा कि पहले बताया गया था, वे नियमित आधार पर काम कर रहे थे।

राज्य ने याचिका के पैरा 7 के जवाब में इस प्रकार कहा:

"रिट याचिका के पैरा 7 के जवाब में यह प्रस्तुत किया गया है कि नियमों की योजना और स्थायी आदेश संख्या 12 के तहत, सभी व्यक्ति जो या तो श्रेणी 'ए' उम्मीदवारों या 'बी' श्रेणी के उम्मीदवारों को स्वीकार करते हैं, उन्हें नायब तहसीलदार की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। नियमों के तहत निर्धारित है। शेष पैरा पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका उत्तर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दाखिल किया जा रहा है।"

(22) प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने उत्तर के पैरा 7 में इस प्रकार कहा:

"यह प्रस्तुत किया गया है कि यह सही है कि याचिकाकर्ताओं ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन यह कहना गलत है कि ऊपर पैरा 2 के उत्तर में पहले ही कहा गया है, सभी याचिकाकर्ता नायब तहसीलदारों की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। याचिकाकर्ताओं को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, उन्हें दो साल के भीतर नायब तहसीलदारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा न करने पर उनके नाम नायब तहसीलदार उम्मीदवारों की सूची से हटा दिए जा सकते हैं। "

जवाब के पैरा 2 में कहा गया कि केवल याचिकाकर्ता क्रमांक 1, 10 और 13 ने ही सभी पेपरों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है। बाकी याचिकाकर्ताओं ने विभाग मानसिक नायब तहसीलदारी परीक्षा आंशिक रूप से उत्तीर्ण की है।

(23) याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता नियमित आधार पर

स्थायी पदों पर नायब तहसीलदार के रूप में अंबाला डिवीजन, अंबाला में सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसका खंडन नहीं किया गया। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो याचिका विवादित नहीं थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता नियमित आधार पर स्थायी पदों पर नायब तहसीलदार के रूप में अंबाला डिवीजन, अंबाला में सेवा कर रहे हैं।

(24) 15 जुलाई, 1987 को ज्ञापन संख्या 7691-ई-4-87/21567 (अनुलग्नक पी1) के माध्यम से हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग के वित्तीय आयुक्त और सचिव ने एक गोपनीय संचार के माध्यम से आयुक्तों, अंबाला डिवीजन, अंबाला और हिसार को सूचित किया। डिवीजन, हिसार में नायब तहसीलदारों के 35 पद (अंबाला डिवीजन में 18 और हिसार डिवीजन में 17) समाप्त कर दिए गए हैं। उक्त संचार का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "हरियाणा के राज्यपाल ने नायब तहसीलदारों के 35 (पैंतीस) पदों को निम्नानुसार समाप्त करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है: -
>
> 1. अम्बाला डिवीजन-18 (अठारह)
> 2. हिसार डिवीजन- 17 (सत्रह)।
>
> अनुरोध है कि अंतिम आओ पहले जाओ के सिद्धांत का पालन करते हुए पदों को समाप्त करने के कारण पदधारियों की सेवाओं को समाप्त करने के संबंध में कार्रवाई की अब आवश्यकता नहीं है, कृपया अपनी ओर से तुरंत कार्रवाई की जाए। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल सामान्य वर्ग से संबंधित नियुक्त अभ्यर्थियों को ही राहत दी जाए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों

और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सदस्यों को राहत नहीं दी जाएगी क्योंकि नायब तहसीलदारों के बीच उनका कोटा पहले से ही कम है।

पत्र में कहा गया है कि केवल सामान्य वर्ग के नियुक्त अभ्यर्थियों को ही कार्यमुक्त किया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को राहत नहीं दी जाएगी क्योंकि नायब तहसीलदारों में उनका कोटा पहले से ही कम है।

(25) सीपीडब्लू 1987 के 4319 में याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा 8 के सब-पैरा iv, v, vi और ix में निम्नलिखित कथन दिए:

"पैरा : 8:

(iv) कि याचिकाकर्ता को श्री भजन लाल की अध्यक्षता वाली तत्कालीन कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा गठित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा नायब तहसीलदार के रूप में चुना गया था। जून, 1986 में मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजन लाल के जाने के बाद लगातार मुख्यमंत्रियों की प्रवृत्ति उस अवधि के दौरान नियोजित व्यक्तियों से छुटकारा पाने और उनके स्थान पर अपने स्वयं के व्यक्तियों को नियुक्त करने की होती है और उन्होंने उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की है। लोक दल-बीजेएफ गठबंधन जिसने 20 जून, 1987 को सरकार बनाई थी, में हरियाणा में पिछली सरकार के कृत्यों को खत्म करने के अपने इरादे को कई शब्दों में घोषित किया। उस घोषणा के परिणामस्वरूप लोकदल भाजपा सरकार ने

वर्ष 1986-87 में हुडा द्वारा आवंटित लगभग 1100 भूखंडों को रद्द कर दिया। एचएसईबी ने नोटिस जारी किए और कनेक्शन काट दिया। विभिन्न उद्योगों का कनेक्शन। वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा नवगठित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ओवरसियर पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची रद्द कर दी है। पंचायत सचिव और विभिन्न अन्य श्रेणियां, जो पिछले बोर्डों ने अपने लोगों को समायोजित करने के लिए तैयार की थीं। वर्तमान सरकार की उन्हें समायोजित करने और रोजगार देने की मंशा दर्शाने वाली खबरें

प्रेस के एक अनुभाग में स्वयं के व्यक्ति भी प्रकट हुए हैं। आदेश अनुलग्नक पी-2 और पी-3 लोकदल-भाजपा सरकार के पदाधिकारियों के करीबी लोगों को समायोजित करने के लिए *दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित किए गए हैं।* इसलिए आदेश अनुलग्नक पी-2 और पी-3 रद्द किए जाने योग्य हैं क्योंकि इन्हें *दुर्भावनापूर्ण* तरीके से पारित किया गया है। याचिकाकर्ता और अन्य की सेवाएं समाप्त करने के दिखावे के तौर पर ही पद समाप्त किये गये हैं। आदेश सद्भावना से पारित नहीं किए गए हैं और आदेश अनुलग्नक पी-2 अतार्किक और अवाक् है।

(v) कि हरियाणा राज्य में सरकार बदलने के कारण ही थोक में बर्खास्तगी के आदेश पारित किए गए हैं और आदेश यांत्रिक तरीके से जारी किए गए हैं। पदों की अभी भी आवश्यकता है और याचिकाकर्ता पर काम का भारी बोझ है और अन्य लोग भी इसी तरह समाप्त हो जाते हैं।

(vi) कि याचिकाकर्ता द्वारा 'ए' क्लास नायब तहसीलदार के रूप में सेवाओं में शामिल होने के बाद भी जून, 1985 से मई, 1987 तक नौ व्यक्तियों को बी-क्लास नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्हें बरकरार रखा गया है, जिससे पता चलता है कि नायब तहसीलदार हैं अभी भी आवश्यकता है और नायब तहसीलदारों को आवंटित विभिन्न कार्यों को करने के लिए पदों की आवश्यकता है। यहां यह बताना भी उचित होगा कि अंबाला डिवीजन में अभी भी नायब तहसीलदारों के दो स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। इसलिए नायब तहसीलदारों

के 35 पदों को समाप्त करने का आदेश अनुलग्नक पी-2 खराब है और इसमें *दुर्भावना की बू आती है* तथा इसमें *सद्भावना* और सद्भावना का अभाव है।

(ix) उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को उसकी सेवाएं समाप्त करने से पहले कोई वैकल्पिक पद की पेशकश नहीं की है। उत्तरदाताओं के पास कई वैकल्पिक पद उपलब्ध हैं जहां याचिकाकर्ता को समायोजित किया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने की उत्सुकता में उत्तरदाताओं ने कानूनी और *वास्तविक* तरीके से कार्य नहीं किया है। उत्तरदाताओं का दायित्व था कि वे पदों के कथित उन्मूलन के कारण याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के बजाय उसे एक वैकल्पिक पद की पेशकश करें।"

राज्य ने लिखित बयान का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आयुक्त अंबाला डिवीजन अंबाला - प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिका के संबंधित पैराग्राफ के जवाब में निम्नानुसार कहा: -

> "8(iv) उप पैरा (iv) के उत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को नायब तहसीलदार के पद के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा अनुशंसित किया गया था। इस उप-पैरा की अन्य सामग्री गलत है और अस्वीकार की गई है। माननीय न्यायालय की सहानुभूति पाने के लिए सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं । अन्यथा भी इस पैरा की सामग्री का इस मामले के निर्णय के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।
>
> 8(v) उप-पैरा (v) गलत है और अस्वीकार किया गया है। सरकार बदलने का इससे कोई लेना-देना नहीं है. पद अधिशेष पाए गए और इस प्रकार, समाप्त कर दिए गए।
>
> 9(vi) उप-पैरा (vi) के उत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि कानूनगो के पद से नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत किए गए कार्यवाहक का याचिकाकर्ता की सीधी नियुक्ति से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि ये विभागीय पदोन्नति उनके 50 प्रतिशत कोटा के भीतर थी।
>
> 8(ix) याचिकाकर्ता को वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना चाहिए था जिसके तहत राज्य सरकार के लिए वैकल्पिक पद की पेशकश करना अनिवार्य/निहित है जो नहीं किया गया है।"

इस प्रकार, याचिका के पैरा 8 के उप-पैरा (iv), (v), (vi) और (ix) में दिए गए तथ्यात्मक कथन विवादित नहीं थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिका में बताए गए तथ्य सही हैं। आरोप गंभीर हैं लेकिन हम इस मामले पर कोई भी राय व्यक्त करने से बचते हैं क्योंकि नायब तहसीलदारों के पद को समाप्त करना अन्यथा हमारे लिए अस्थिर

है। हम चुनौती के तहत नायब तहसीलदार के पद को समाप्त करने में *प्रामाणिकता* की कमी के सवाल पर जाना उचित नहीं समझते हैं । वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, हमारे सामने रखी गई संपूर्ण सामग्री पर विचार करने पर, हमारी राय है कि पद का उन्मूलन केवल कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने का एक उपकरण था और उन्मूलन गंभीर दुर्बलता से ग्रस्त है।

(20) सरकार पदों का सृजन करती है, उनका कैडर निर्धारित करती है और वेतनमान तय करती है। पदों का सृजन किया जाता है, जिन्हें सरकारी कार्य को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से व्यक्तियों को पदों पर नियुक्त किया जाता है

सरकार के संप्रभु कार्यों की कार्यक्षमता कभी समाप्त नहीं होती या समाप्त की जा सकती है । कुछ वैधानिक कार्य सरकार में निहित हैं और उन कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से पदों का सृजन किया जाता है। क़ानून के तहत इन्हें सिविल पद कहा जा सकता है। क़ानून को निरस्त किया जा सकता है और कार्यों को वापस लिया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, तो पद की कोई आवश्यकता नहीं है और पद समाप्त हो गया है। यदि पद को कार्यात्मक रूप से समाप्त कर दिया जाता है तो पद धारण करने वाले व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलता है और उसकी सेवाएँ समाप्त हो जाएंगी, लेकिन संप्रभु कार्यों के मामले में, वे हमेशा मौजूद रहते हैं और उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है और उन कार्यों को करने के लिए बनाए गए पद को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। समाप्त कर दिया गया है, हालांकि पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है या वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों में बदलाव हो सकता है। भले ही किसी विशेष संवर्ग में किसी न किसी कारण से पदों की संख्या कम कर दी जाती है। इस आधार पर पदों को समाप्त करने पर सेवाएँ समाप्त नहीं की जा सकतीं क्योंकि सरकारी कार्य अभी भी वहाँ हैं और उन्हें निष्पादित किया जाना है और पदधारियों को बाहर नहीं भेजा जा सकता क्योंकि कार्यों को दूसरों के साथ ही पूरा किया जाना है। संप्रभु कार्यों की तुलना व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यों से नहीं की जा सकती।

(27) *इस चरम पर हरियाणा राज्य* बनाम *देस राज संगर और अन्य,* (5) से निपटना उपयोगी होगा । प्रतिवादी, जब वह अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, जो सरकार के पंचायत विभाग में एक कैडर पद था, उसे विशेष कर्तव्य (चुनाव) पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया था,

जो पद पूर्व-कैडर पद था। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (निर्वाचन) के इस पद को पुनः पंचायती राज प्रदनाम दिया गया। निर्वाचन अधिकारी, एक्स-कैडर पद के लिए और इसलिए उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती थीं, और वह किसी भी स्थिति में प्रधान सहायक के स्वीकार्य रूप से मौजूदा पद के हकदार थे।



(28)पहले विवाद पर, सुप्रीम कोर्ट ने *एन. रामनाथ पिल्लई के मामले* (सुप्रा) में अपनाए गए पहले के दृष्टिकोण को दोहराते हुए निम्नानुसार कहा: -

> "किसी पद को बरकरार रखा जाना चाहिए या समाप्त कर दिया जाना चाहिए, यह अनिवार्य रूप से सरकार को तय करने का मामला है। जब तक सरकार का ऐसा निर्णय सद्भावना से लिया जाता है, तब तक अदालत उसे रद्द नहीं कर सकती। निर्णय की बुद्धिमत्ता के पीछे जाना न्यायालय के लिए खुला नहीं है

(5) एआईआर 1976 एससी 1199।

और सरकार की राय की जगह अपनी स्वयं की राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता कि कोई पद रद्द होना चैये या नहीं। हालांकि पद को रद्द करने का निर्णय एक अच्छे इरादे से किया जाना चाहिए और ना कि किसी इंसान द्वारा किसी पद पर दी जा रही सेवाओं को खतम करने कि मुखौटा पहन कर। विचार करने पर प्रतीत होता है कि पद को रद्द करना केवल एक तरीका था जिस से की एम्प्लोयी की नौकरी खतम करने का एक तरीका था।

प्रतिवादी की पद को दिनांक 13 अप्रैल, *1972 के आदेश द्वारा पक्का किया गया था जिसमे यह कहा गया था कि* अत्यधिक वित्तीय तंगी को ध्यान में रखते हुए, पंचायत विभाग में स्थायी पद के लिए पंचायती राज इलेक्शन ऑफिसर के पद को खतम किया जाता है। तत्काल प्रभाव से सूचित करने का आदेश *दिया* । 'सरकारी खननकर्ता ने आदेश दिया कि पद के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप, प्रतिवादी को दी जाने वाली सेवाओं से छूट दी जानी चाहिए। प्रतिवादी की ओर से दो तर्क प्रस्तुत किए गए; (ए) सेवाएं मनमाने ढंग से थीं और प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ कोई उचित संबंध नहीं था, अर्थात्, मुझे वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आक्षेपित आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया गया क्योंकि प्रतिवादी जो हमेशा उच्च पदों के लिए चयनित हुआ था और कैडर में निचले पदों से पदोन्नति प्राप्त की थी, उसे बाहर निकाला जा रहा था। जू ने इस बहाने उनके द्वारा स्थायी रूप से धारित पद को समाप्त कर दिया, जबकि रैंक में उनसे कनिष्ठ और कम मेधावी व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखा गया । पंजाब सीएक्सविल सर्विसेज का कहना है कि जैसे ही प्रतिवादी द्वारा धारित पद समाप्त किया गया तो उसका ग्रहणाधिकार उस सहायक पद पर पुनर्जीवित हो गया, जिसे उसने अपनी पदोन्नति से पहले काफी हद तक धारण किया था और वह किसी गंभीर कमजोरी से ग्रस्त हो जाएगा और उसे अलग रखा जा सकता है। सद्भावना में किसी पद की समाप्ति और उसके परिणामस्वरूप उस पद के पदाधिकारी की सेवाओं की समाप्ति पर कला लागू नहीं होगी। 311।"

सर्वोच्च न्यायालय ने पद को समाप्त करने के उनके अधिकार के सरकार के तर्क को स्वीकार कर लिया, सदभावना के प्रश्न पर विचार किया। खत्म करने के सरकार के अधिकार को स्वीकार करते हुए

लेकिन पद या नया पद सृजित करने के लिए समाप्ति ही स्वीकार नहीं की गई। तथ्यों पर पूरी चर्चा कार्यात्मक एबो लायन के संदर्भ में थी। यद्यपि सद्भावना के तहत विचार करते हुए और प्रशासनिक कारणों से लिए गए निर्णय में यह माना गया कि प्रधान सहायक के पद पर प्रतिवादी का ग्रहणाधिकार था और जैसे ही पंचायती राज निर्वाचन पदाधिकारी का पद समाप्त हो जाता है, वह इसका हकदार हो जाता है। प्रधान सहायक के पद पर वापस लिया जाए। यह केवल इस आधार पर हो सकता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में आ जाता है, तो वह हमेशा सरकारी कर्मचारी होता है और उसकी सेवाओं को संविधान के अनुच्छेद 31.1 के तहत ही समाप्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को उस पद पर बने रहने से वंचित करने के लिए किसी पद का उन्मूलन एक कार्यात्मक उन्मूलन होगा, न कि पद सरलीकरण का उन्मूलन, जबकि कार्य अभी भी किसी न किसी द्वारा अलग-अलग पदनामों के तहत किए जाने हैं। हरियाणा में 'सी' श्रेणी के नगर पालिकाओं के प्रशासकों की नियुक्ति के लिए नायब तहसीलदारों के 44 पद सृजित किए गए । यदि कैडर में संख्या कम करनी थी तो इन पदों को सृजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पदों के वर्तमान पदाधिकारियों को प्रशासक के रूप में स्थानांतरित और तैनात किया जा सकता है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि नायब तहसीलदारों के पदों की कोई कार्यात्मक समाप्ति नहीं हुई है। तदनुसार, हम अनुबंध पी-1 के रूप में 1987 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4315 में संलग्न दिनांक 15 जुलाई, 1987 के आदेश को रद्द करते हैं। तद्नुसार रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और अन्य रिट याचिकाओं की शर्तों के अनुसार आदेश दिया जाएगा। पदों के उन्मूलन के आदेश को रद्द करने के हमारे आदेश के मद्देनजर लेटर पेटेंट अपीलें निरर्थक हो गई हैं।

(29) अब हम सीपीडब्लू संख्या 1984 की 7189 से निपटते हैं, जिसमें 26 मई, 1972 के पत्र संख्या 2311-आईजिएसाई -72/15727 में निहित सरकारी निर्देशों का पालन किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी रिक्ति के लिए आयोग/बोर्ड द्वारा की गई अनुशंसा की तारीख से छह महीने के भीतर उस सूची से भरा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा नायब तहसीलदारों के 22 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए निकाले गए विज्ञापन की तिथि पर, वे पात्र नहीं थे और जब वर्ष 1982, 1983 और 1984 में सूची से अधिक नियुक्तियाँ की गईं तो वे पात्र हो गए। उनके मुताबिक, राज्य सरकार की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। विद्वान वकील की बात में कुछ दम है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अपने सचिव के माध्यम से हलफनामा दायर किया जिसमें उसने सकारात्मक रुख अपनाया कि बोर्ड को जानकारी थी कि परिणाम घोषित होने तक नायब तहसीलदारों के पदों की वास्तविक संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बोर्ड ने किस आधार पर यह रुख अपनाया है। बोर्ड ने अपनी सीमा लांघी है. आम तौर पर, बोर्ड जितनी रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उससे दोगुने या अधिकतम तीनगुने से अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता था। विज्ञापित पदों की संख्या केवल 22 थी। *अशोक कुमार यादव और अन्य* बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य,* (6) में, इसे निम्नानुसार माना गया था: -

> "इसलिए, यह हमेशा से संघ लोक सेवा आयोग की प्रथा रही है कि साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के दोगुने या तीनगुने से अधिक न हों। 'सिविल सेवा परीक्षा के लिए भर्ती नीति और चयन विधियों' पर कोठारी समिति

की रिपोर्ट भी इस प्रश्न की गहन जांच के बाद बताती है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी होनी चाहिए:

'लिखित पेपर में कुल अंकों के क्रम में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, हमारा मानना है, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से दोगुनी नहीं होनी चाहिए।"

बोर्ड नायब-तहसीलदारों के 22 पदों को भरने के लिए 102 उम्मीदवारों की सिफारिश नहीं कर सका, जो मूल रूप से विज्ञापित थे। बोर्ड को नायब तहसीलदारों के 22 पदों को भरने के लिए 102 उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकार से कोई पत्र नहीं मिला है। बोर्ड अधिक से अधिक पांच या छह और उम्मीदवारों की सूची भेज सकता है जिन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई स्थापित प्रथा और 'सिविल सेवा परीक्षा के लिए भर्ती नीति और चयन विधियों' पर कोठारी समिति की रिपोर्ट का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता.

(30) राज्य ने अपने लिखित जवाब में माना है कि आम तौर पर आयोग/बोर्ड द्वारा सिफारिश की तारीख के छह महीने के बाद होने वाली रिक्तियां उस सूची से नहीं भरी जाती हैं। हालाँकि, मौजूदा मामले में, प्रस्थान इसलिए किया गया क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अस्तित्व में नहीं था और बोर्ड द्वारा संभागीय आयुक्त को पहले से ही भेजी गई नायब तहसीलदार उम्मीदवारों की सूची की वैधता को बढ़ाना सार्वजनिक हित में समीचीन समझा गया था। राज्य सरकार द्वारा किया गया बचाव टिकाऊ नहीं है। यदि बोर्ड अस्तित्व में नहीं था, तो राज्य सरकार चयन

बोर्ड के गठन के लिए उचित कार्रवाई कर सकती थी, और वैकल्पिक रूप से नायब तहसीलदारों के पदों पर चयन करने के लिए उचित प्राधिकारी संभागीय आयुक्त है और इसे विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए था। चयन मंडलायुक्त को करना है। हम बोर्ड और राज्य सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं। उनके कृत्य के परिणामस्वरूप योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि वे वर्ष 1982, 1983 और 1984 में भरे गए नायब तहसीलदार के पदों के लिए चयन में प्रतिस्पर्धा करने के अवसर से वंचित रह गए थे। हमने निर्धारित संख्या से अधिक पूरे चयन को रद्द करने के बारे में सोचा था। रिक्तियों की संख्या जो मूल रूप से विज्ञापित की गई थी, लेकिन हम ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि इससे उन चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने विभागीय परीक्षण पास कर लिया है और नियमित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किए गए थे और पिछले चार वर्षों से सेवा में हैं। कुछ मामलों में, वे सरकारी नौकरी के लिए अधिक उम्र के हो गए होंगे । सरकार ने उन्हें प्रशिक्षित करने में भी भारी धनराशि खर्च की है। इसलिए, न्याय के हित में, हमने चयन को रद्द नहीं किया है। *गुरबक्स राय सूद और अन्य* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य (7)* में इस न्यायालय ने पहले के दो निर्णयों में कहा था कि यद्यपि नियुक्तियाँ क्रम में नहीं थीं, लेकिन राहत इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई थी कि नियुक्त व्यक्ति लंबे समय से सेवा में थे। वर्षों की संख्या और यदि उनकी नियुक्तियाँ रद्द कर दी गईं तो उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना थी। *अजीत सिंह और अन्य* बनाम *सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा और अन्य* (8) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लेना उपयोगी होगा । इस न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले की अपील पर, जहां इस न्यायालय ने हेड मास्टर्स के चयन को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि राज्य सरकार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा रिक्त पदों

के लिए प्रस्तुत अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची से रिक्त पदों को नहीं भर सकती है। उस सूची को जमा करने की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद और इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया: -

> "मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम निर्देश देते हैं कि इन अपीलों में शामिल सभी हेड मास्टर्स, जिन्हें आज तक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा तैयार की गई चयन सूची के आधार पर नियुक्त किया गया है, उसे वैध माना जाएगा, हेड मास्टर नियुक्त किये गये और सेवा में बने रहे। वे सभी उम्मीदवार जिनका चयन कर लिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में नियुक्त नहीं किए गए हैं, उन्हें हेड मास्टर के पदों के लिए चयन करने के लिए आवेदन मांगने वाले किसी भी विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी, जो उस दिन या उससे पहले जारी किया जा सकता है। उम्र के आधार पर कोई आपत्ति उठाए बिना 31 दिसंबर, 1989। राज्य सरकार के विद्वान वकील ऐसे उम्मीदवारों के मामले में आयु की योग्यता में उपरोक्त सीमा तक छूट देने पर सहमत हुए। उच्च न्यायालय के फैसले को तदनुसार संशोधित किया गया है।"

(31) ऐपेक्स कोर्ट की घोषणा के अनुसार और इस मामले की परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि राज्य सरकार द्वारा सूची से बाहर किए गए उम्मीदवारों की तारीखों के चयन को रद्द करना उचित नहीं होगा। वर्ष 1982, 1983 और 1984 में निकली रिक्तियों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। हालांकि, भविष्य के लिए, हम निर्देश देते हैं कि आयोग/

बोर्ड रिक्तियों की संख्या से अधिक सिफारिशें नहीं करेगा। बेशक, वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रतीक्षा सूची तैयार करनी होगी और यदि कोई चयनित उम्मीदवार शामिल नहीं होता है, तो प्रतीक्षा सूची के किसी उम्मीदवार को नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है और प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों की संख्या भी अधिक नहीं होगी और चयनित व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह बहुत उचित होगा। इन टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका संख्या 718/1984 का निपटारा किया जाता है।

***अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।***

***रीतिका शर्मा***
***प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी***
***(Trainee Judicial Officer)***
***करनाल, हरियाणा***